



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
परीक्षा विभाग

कमांक : एफ. 05/वमखुवि/परीक्षा/2023/43

दिनांक 01.01.2023

कार्यालय-आदेश

विद्या परिषद की 66वीं बैठक के बिन्दु संख्या 66/13 पर प्रबन्ध मण्डल की 103वीं बैठक के बिन्दु संख्या 103/03 द्वारा अनुमोदन के उपरान्त निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं -

- अ. स्नातक स्तरीय अनिवार्य प्रश्नपत्रों जिनकी परीक्षाएं ओएमआर आधारित होती हैं उनमें पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था एतद्वारा समाप्त की जाती है ।
- ब. स्नातक कार्यक्रमों में अनिवार्य प्रश्नपत्रों में आंतरिक गृहकार्य की व्यवस्था एतद्वारा समाप्त की जाती है तथा प्रत्येक प्रश्नपत्र अधिकतम 100 अंक का होगा । यह व्यवस्था प्रवेश सत्र जनवरी 2023 से लागू होगी ।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

01. सचिव, कुलपति सचिवालय, वमखुवि, कोटा
02. कुलसचिव, वमखुवि, कोटा
03. वित्त नियंत्रक, वमखुवि, कोटा
04. निदेशक, अकादमिक, वमखुवि, कोटा
05. समस्त क्षेत्रीय केन्द्र, वमखुवि
06. बिल लिपिक, परीक्षा विभाग, वमखुवि, कोटा
07. रक्षित पत्रावली


परीक्षा नियंत्रक